फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत –उप खण्ड अधिकारी, मुकाम सोजत

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
किशनलाल पुत्र रामनारायण माली निवासी - मालियों की ढाणी सोजतसिटी		तहसीलदार सोजत

कि0 मु0:– रा0 वाद अन्तर्गत धारा 88 आर टी एक्ट 1955, 136 एलआर. एक्ट. 1956 मु0न0/31/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुआ।
8/10/24	अधिवक्ता वादीगण उपस्थित। अधिवक्ता वादीगण ने राजस्व वाद अर्न्तगत धारा 88 आर टी एक्ट 1955, 136 एलआर. एक्ट. 1956 के तहत विरूद्व प्रतिवादीगण के पेश किया है। राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये समन/नोटिसेज तलब किया जावे तथा तहसीलदार सोजत से मौका एवं रेकर्ड की वस्तुस्थिति रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की जाकर पत्रावली आयन्दा दिनांक..... 7/11/2024...को। पेश। हो।। उप खण्ड अधिकारी, सोजत	
7/11/24	अधिवक्ता उप। प्रतिवादी को बाबत सम्मन की तामिली रिपोर्ट मौसूल बाद हो कर पत्रावली आयंदा दिनांक 12/11/24 को पेश हो। SDO Sojat	
12/11/24	अधिवक्ता उप। तामिल की रिपोर्ट का इंतजार है कर पत्रावली आयंदा दिनांक 21/11/24 को पेश हो। SDO Sojat	
21/11/24	अधिवक्ता उप। अधिवक्ता मय वादी को बार बार आवाजे लगाये जाने पर भी गैर हाजिर रहे से अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत वाद अदम पैरवी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नंबर से कम हो। वाद तामील तकमील साबित दफ्तर हो। SDO Sojat	